भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2172

उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

†2172. **श्री अ. मनि:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) संचालित हैं तथा उनमें कितने बच्चे नामांकित हैं;

(ख) क्या सरकार की वंचित क्षेत्रों में नए केजीबीवी स्थाापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा, विशेषकर ग्रामीण एवं वंचित समुदायों में केजीबीवी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा मौजूदा केजीबीवी में बुनियादी ढांचे तथा छात्रावास, पुस्तकालय और डिजिटल कक्षाओं जैसी अन्य सुविधाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) पिछले पांच वर्षों के दौरान केजीबीवी में विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई जारी रखने की दर कितनी है तथा पढ़ाई बीच में ही छोड़ने संबंधी समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): देश में कुल 5,133 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यान्वित हैं जिनमें 7.11 लाख छात्राएं नामांकित हैं।

(ख)**:** देश के शैक्षिक रूप से पिछडे सभी ब्लॉकों को शामिल किया गया है और शैक्षिक रूप से पिछडे प्रत्येक ब्लॉक में कक्षा VI-XII की बालिकाओं के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय नए केजीबीवी की स्वीकृति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक पीएबी बैठकों में सचिव (एसईएंडएल) की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मानदंडों के अनुसार विचार किया जाता है।

(ग) और (घ)**:** हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एनसीईआरटी के माध्यम से वर्ष **2022-23** में केजीबीवी की स्थिति का आकलन करने और वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करने के लिए एक मूल्यांकन किया गया था।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, समग्र शिक्षा के तहत भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कुशल कार्य के लिए केजीबीवी में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यात्मक केजीबीवी में चारदीवारी, शौचालय, छात्रावास, गार्ड रूम, आईसीटी प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षा आदि के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार वित्त वर्ष **2024-25** में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भी निधि अनुमोदित की गई है। इस योजना में मौजूदा स्कूल भवनों, शौचालयों और अन्य सुविधाओं के वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के लिए भी निधि प्रदान की जाती है ताकि अवसंरचना को अच्छी स्थिति में रखा जा सके। हाल ही में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने छात्राओं को सशक्त बनाने, उन्हें डिजिटल रूप से कुशल बनाने और उनके अधिगम के परिणामों में वृद्धि करने के लिए, समग्र शिक्षा मानदंडों के अनुसार, सभी कार्यात्मक केजीबीवी को आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षाओं के साथ सुसज्जित करने की घोषणा की। तदनुसार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 3,564 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 3,655 स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था के लिए 28,841.96 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

(ङ): स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर पिछले पांच वर्षों के दौरान लड़कियों की समग्र प्रतिधारण दर में सुधार हुआ है। विवरण निम्नानुसार हैं:

स्कूली शिक्षा	वर्ष				
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
प्रारम्भिक **(1-8)**	71.76	71.89	75.49	82.24	82.06
माध्यमिक **(1-10)**	56.84	58.03	59.59	64.36	64.52

(स्रोत: यूडाइज़**+,** अखिल भारतीय, सभी प्रबंधन स्कूल)

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत, केजीबीवी सहित अन्य सभी स्कूलों में छात्रों की प्रतिधारण दर में वृद्धि करने तथा पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उच्च माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, मुफ्त वर्दी, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता तथा नामांकन और प्रतिधारण मुहिम चलाना शामिल है। इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु-अनुरूप विशेष प्रशिक्षण, बड़े बच्चों के लिए आवासीय तथा गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केन्द्र, परिवहन/अनुरक्षण सुविधा आदि की भी सहायता की जाती है, ताकि स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित 16-19 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 2000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बाल विवाह, सामुदायिक भागीदारी, पाठ्येतर गतिविधियों आदि के संबंध में विशेष नामांकन अभियान, जागरूकता अभियान चलाते हैं।

*****